कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & ☎ 05964- 225234

पत्रॉकः 5170 /12—1 दिनांक, पिथौरागढ़, 04, मार्च, 2025।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः— जनपद पिथौरागढ़ में चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार के निर्माण हेतु 1.911 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में ।
(Online No. FP/UK/Road/40805/2019)

संदर्भः— उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 251/X—3—21/1(17)/2021 दिनांक 18.02.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र के कम में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या निम्नवत प्रेषित है—

क्र. स.	शर्ते	अनुपालन आख्या
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपें जाने के बाद ही वनभूमि सौपी जायेगी।	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वनभूमि सौपी जायेगी।
3(क)	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3. 822 हे0 सिविल सोयम भूमि ग्राम पपदेव, खसरा संख्या 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1171, 1172, में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाय तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.822 हे0 भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा। शर्त में 3(ग) अनुसार प्रमाण पत्र संलग्न।
(ख)	गैरवानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) करने के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/ संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	प्रतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित करने सम्बन्धी म्यूटेशन आदेश संलग्न है तथा उक्त चयनित भूमि को संरक्षित वन घोषित किये जाने के संबंध में उच्च स्तर को पत्र प्रेषित किया गया है।
(ग)	वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	प्रमाण पत्र संलग्न ।

(घ)	प्रत्यावित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	विभाग द्वारा प्रत्यावित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एंव सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण की धनराशि जमा कर दी गई है। छाया प्रति संलग्न है।
5(क)	इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के wp (c) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एंव 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998– एफ.सी (pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006– एफ.सी, दिनांक 03.10.2006 एंव 5–3/2007–एफ.सी, दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्त अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.911 हे0 वन क्षेत्र के प्रतयावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 21.10.2023 द्वारा प्राप्त डिमाण्ड नोट के अनुसार यूनियन बैंक की शाखा पिथौरागढ़ के माध्यम से दिनांक 12.01.2024 को कैम्पा कोष के खाता सं0 150896140805902 मे आवश्यक धनराशि रु0 3480301.00(एन0पी0वी हेतु रु0 1920956.00 एंव क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रु0 1559345.00 जमा की जा चूकी है।
5(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है। (शपथ पत्र संलग्न)।
6	प्रयोक्ता अभिकरण के प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा जो कि प्रस्ताव के अनुसार 51 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एंव पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त वन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोप प्रबंधन और योजना प्रांधिकरण फंड मे स्थानान्रित /जमा किए जाएगें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
8	गाईडलाईन्स में दिए गए दिषानिर्देषो के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षो के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेष की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है। इस कार्यालय द्वारा जारी कार्य करने की अनुमति आदेश संलग्न है।

	करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिष्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेष में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	
9	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिष्चित किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आई.आर.सी. मानदण्डो के अनुसार सड़क के दोनो किनारों एवं उसके बीचो बीच पौधो की संख्या बढ़ायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
11	संरक्षित क्षेत्रों /वन क्षेत्रो में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जायेगे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानो के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
13	केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
14	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक षिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विषेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
16	संबंधित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा, जिस पर Forward/Backward Bearings अंकित हों।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया गया है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
18	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
19	केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियां विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु वन मंत्रालय के दिषानिर्देष फाईल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
21	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण से विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावष्यक रूप से	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।

	तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वनविभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थित एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाऐगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षो की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	
23	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई –पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।

अतः प्रकरण में विधिवत स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।
संलग्नः– यथोक्त।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

पत्रांकः– 5170 /12–1 दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।
E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & Ph 05964-225234
पत्रांकः– 1981 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 21 अक्टूबर, 2023।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत चण्डाक से धारी मौटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.911 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के फलस्वरुप डिमान्ड नोट प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक 08 बी/यू0सी0पी0/06/23/2021/एफ.सी./628दिनांक 30.07.2022।

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि आप भारत सरकार के आदेशानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें एवं उक्त सन्दर्भित पत्र के बिन्दु सं0 04 व 05 के क्रम में उक्त परियोजना में जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0सं0	मद	इकाई	दर	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन0पी0वी0	1.911 हे0	10,05,210/– (ईको क्लास–V, घनत्व 0.3)	1920956.31 या 1920956.00
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	3.822 हे0	4,07,992/–	1559345.424 या 1559345.00
			योग	34,80,301.00

कृपया उक्त डिमान्ड नोट ऑन लाइन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमान्ड नोट का सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

संख्याः– /12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि संरक्षण, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

—चण्डाक धारी मोटर/मार्ग/9

AGENCY COPY

Union Bank

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 12-01-2024

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6140805902
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/23/2021/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PD PWD PITHORAGARH GHANTAKARAN DISTT PITHORAGARH 262501Pithoragarh
Amount(in Rs)	3480301/-

Amount in Words :Thirty-Four Lakh Eighty Thousand Three Hundred and One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896140805902 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

Union Bank

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 12-01-2024

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6140805902
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/23/2021/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	PD PWD PITHORAGARH GHANTAKARAN DISTT PITHORAGARH 262501 Pithoragarh
Amount(in Rs)	3480301/-

Amount in Words :Thirty-Four Lakh Eighty Thousand Three Hundred and One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896140805902 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया union bank of india

Executive Engineer
Provincial Divn. P.W.D.
Pithoragarh
Code No.- 1112

Challan Already made with proper request

शर्त सं-(8)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & ☎ 05964- 225234

पत्रांक 7543 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 9, मई, 2024।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 पिथौरागढ़
पत्रांक : 1926
दिनांक : 10/5/24

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
पिथौरागढ़।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.911 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कयों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में कार्य की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून का पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/23/2021/एफ0सी0/628 दिनांक 30.07.2022 व प्रस्तावक विभाग का पत्रांक 123/ 01 याता दिनांक 18.01.2024।

संदर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ में **प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़** द्वारा प्रस्तावित **चण्डाक से धारी मोटर मार्ग** प्रस्ताव में प्रभावित वन भूमि को कतिपय शर्तों के अधीन जिसका उल्लेख सैद्धान्तिक स्वीकृति के आदेश में दिया गया है, के अधीन प्रत्यावर्तन किये जाने का सैद्धान्तिक रूप से निर्णय लिया गया है। उक्त विषयक मोटर मार्ग लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ द्वारा बनाया जाना प्रस्तावित है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र के क्रम में वन भूमि हस्तान्तरण की शर्तों के अनुपालन में एन0पी0वी0 एवं अन्य देयकों की धनराशि जमा कर वन विभाग के प्रतिनिधि के साथ समरेखन में प्रभावित वृक्षों का छपान किया जा चुका है व वृक्षों के पातन की कार्यवाही गतिमान है। तद्क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मोटर मार्ग में कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी है।

शासनादेश सं0–156/X4–15/1(57)/2015 दि0 30–3–2015 में प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुये जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत **चण्डाक से धारी मोटर मार्ग** के निर्माण प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिये जाने तथा एन0पी0वी0 एवं अन्य देयकों के भुगतान के पश्चात निम्न प्रतिबन्धो के अधीन कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1– प्रयोक्ता एजेन्सी को भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा सैद्धान्तिक अनुमति प्रदान करते समय लगायी गयी समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

2– भारत सरकार/राज्य सरकार से विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने पर उसमें लगायी गयी शर्तों का भी प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पालन किया जाना होगा।

3– मार्ग निर्माण में बाधक वृक्षों का पातन उत्तराखण्ड वन विकास निगम के माध्यम से किया जाना है। अतः वन विकास निगम द्वारा वृक्षों के पातन के उपरान्त ही वन मोटर मार्ग में कटिंग का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। किसी भी दशा में वृक्षों को जे0सी0बी0 से उखाडकर पहाड़ की ढाल से नीचे नही लुड़काया जायेगा। यदि निर्माण में बाधक वृक्षों के वन निगम द्वारा कटान से पूर्व प्रयोक्ता एजेन्सी या उसके ठेकेदार द्वारा वृक्षों का जे0सी0बी0 से उखाडकर कर लुड़काया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रयोक्ता एजेन्सी इसके लिये पूर्ण उत्तरदायी होगी।

4– मार्ग निर्माण से उत्सर्जित मलवे को पूर्व चिन्हित डम्पिग यार्ड में डम्प किया जायेगा, उत्सर्जित मलवे को पहाड़ी ढलान से नीचे जगह–जगह नहीं फैलाया जायेगा, उत्सर्जित मलवे को किसी भी दशा में नदी–नालो में नहीं डाला जायेगा।

5– मार्ग निर्माण से उत्सर्जित मलवे को पूर्व चिन्हित डम्पिग यार्ड में डालने के पश्चात् इस डम्पिंग यार्ड का वैज्ञानिक तरीके से वानस्पतिक उपचार किया जाना है, जिससे मलवा आगामी वर्षो में बहकर नदी में अथवा नालो में न जाने पायें।

6– सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

7– प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रुप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।

8– उक्त कार्य की अनुमति 1 वर्ष की अवधि हेतु मान्य होगी। उक्त अवधि पश्चात् कार्य की अनुमति स्वतः निरस्त मानी जाएगी तथा इस दौरान किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य वर्जित होगा। उक्त अवधि पश्चात् निर्माण कार्य पाये जाने पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

प्रकरण में विधिवत स्वीकृति अपेक्षित है, अतः विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या तत्काल समस्त संलग्नकों सहित 05 प्रतियों में इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चत करें।

सहायक अभि0/(सहा0 अभि0 द्वितीय)

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

Vouch 01 / 1-8-24

2/P

Signature Not Verified
Digitally signed by: Mr Vivek Kumar Saxena
Reason: DDO E-Approval
Location: Pithoragarh Treasury
Date and Time: 12-07-2024 15:02:13

शर्त सं०-6

IFMS Uttarakhand

आकस्मिक देयक प्रपत्र
वित्तीय नियम संग्रह खंड पाँच भाग -1
(देखे अध्याय - आठ , प्रपत्र 178, 180, 182, 183)

pe : Normal
0423407241003

लेखाशीर्षक सम्बन्धी विवरण

मुख्य लेखाशीर्षक -	(5054)सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय
उप मुख्य लेखा शीर्षक -	(04)जिला तथा अन्य सड़के
लघुशीर्षक -	(337)सड़क निर्माण कार्य
उपशीर्षक -	(03)राज्य सेक्टर
ब्योरेवार शीर्षक -	(01)चालू निर्माण कार्य

पद का नाम — पिथौरागढ़
ागार का नाम — पिथौरागढ
क की अवधि कब से.........कब तक ....
ार्ड कोड — 1 0 3
षागार/उपकोषागार का कोड — 3 8 0 0
क पंजी की क्रम संख्या — 000190
चर संख्या(कोषागार द्वारा भरा जाना है) — वाउचर का दिनांक
देय/भारित — मतदेय
ााशीर्षक सम्बन्धी 13 अंको का कोड (4 मुख्य लेखाशीर्षक + 2 उपमुख्य + 3 लघुशीर्षक + 2 उपशीर्षक + 2 ब्योरेवार शीर्षक — 5 0 5 4 0 4 3 3 7 0 3 0 1 5 3
ाहरण वितरण अधिकारी का पदनाम — अधिशासी अभियंता प्रांतीय खण्ड लो0नि0वि0 पिथौरागढ़
ाहरण वितरण अधिकारी का कोड — 4 2 3 4
अधिष्ठान का नाम — अधिशासी अभियन्ता प्रांतीय खण्ड लो0नि0वि0 पिथौरागढ़
अनुदान संख्या — 0 2 2 — 14- सोर्स कोड 0 — 15- सेक्टर कोड
स्टिंग अनुदान संख्या
आहरण से जुड़े लेखाशीर्षक (कनेक्टिंग सर्विस हेतु) (केवल भविष्य निधि अग्रिम एवं ऋण अन्य अग्रिमों से सम्बन्धित भुगतान हेतु भरा जाये)
स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिलिपि संलग्न करें) Project : PR3800423407201004 Chandak Dhari mr construction work under
e sector Contract :

बजट की वर्तमान स्थिति			
नक मद का नाम व कोड	आवंटित कुल बजट	इस बिल को सम्मिलित करते हुए	अवशेष बजट
53-वृहद निर्माण	50000000	18717793	31282207

भुगतान का विवरण	
मानक मद का कोड एवं नाम	धनराशि
53-वृहद निर्माण	164692
66 सकल धनराशि (आश्रित समायोजन के बाद)	164692
कटौतियों का कोड सहित विवरण	
77 सम्पूर्ण कटौतियां	
99 शुद्ध देय धनराशि (66-77)	164692

ONLY FOR OFFICIAL USE

क्रम संख्या	व्यय सम्बन्धी विवरण	धनराशि (रु0)	अभ्युक्ति
		164692	
1	123 /12-JUL-2024/DFD MUK VAN VIKAS NIGAM	164692	
66- सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के बाद)			
77- सम्पूर्ण कटौतियां		164692	
99 शुद्ध देय धनराशि (66-77)			

प्रमाणित किया जाता है कि इस देयक में प्रस्तुत किया गया दावा सही एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। संगत नियमों तथा आदेशो की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद देयक प्रथमबार प्रस्तुत किया जा रहा है। देयक के अवयवों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

Print Date : 12-Jul-2024

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
पिथौरागढ़।

E-mail - pdpwdpth@rediffmail.com

दूरभाष / फैक्स नं0 05964–225115

दिनांक / /2024

पत्रांक /कैश

भुगतान आदेश

कार्यालय उत्तराखण्ड वन विकास निगम प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक पिथौरागढ़ के पत्रांक 155/विकास कार्य दिनांक 13.06.2024 के क्रम में देयक सारणी अनुसार उनके द्वारा किये गये कार्यो के आधार पर मानक मद–53 वृहद निर्माण से भुगतान की स्वीकृति प्रदान करते हुए यह प्रमाणित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में देयक प्रथम बार प्रस्तुत किया है तथा पूर्व में इसका भुगतान नहीं किया गया है।

क्र0 सं0	नाम	योजना का नाम	योजना का मद	स्वीकृत भुगतान राशि	ई चैक की धनराशि
1	प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक उत्तराखण्ड वन विकास निगम पिथौरागढ़।	चण्डाक से धारीजोशी मो0मार्ग।	राज्य योजना	164692.00	164692.00

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।

पत्रांक 123 / कैश दिनांक 12/07/2024

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखापरीक्षा) महालेखाकार भवन, पेट्रोलियम संस्थान, कौलागढ़, जिला देहरादून,पिन कोड– 248195 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मुख्य कोषाधिकारी, पिथौरागढ को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।

thoragarh@gmail.com / PAN No. AAALU0009M /GSTNo. ...

उत्तराखण्ड वन विकास निगम

कार्यालय प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक : पिथौरागढ़

दिनांक-13 /06/2024

165 /विकास कार्य

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
पत्रांक 2715
दिनांक 02/07/2024

अधीशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड
लोक निर्माण विभाग
पिथौरागढ़।

चण्डाक से धारीजोशी मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाले वृक्षों के निस्तारण हेतु प्राक्कलन का प्रेषण।

उपरोक्त विषयक कम में निम्नानुसार चण्डाक से धारीजोशी मोटर मार्ग में प्रभावित वृक्षों के निस्तारण हेतु लौट का ...न संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक उत्तराखण्ड वन विकास निगम के चालू खाता संख्या ...651846 एस.बी.आई. पिथौरागढ़ में RTGS के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरित कर इस कार्यालय को अवगत कराने की कृपा करें हेतु एस.बी.आई. पिथौरागढ़ का IFSC कोड संख्या SBIN0000700 है। आपको सूचित की जा रही धनराशि प्राक्कलन में ...खित अनुमानित मात्रा के आधार पर आगणित की गयी है, क्षेत्रीय प्रबन्धक (कु0क्षे0) उत्तराखण्ड वन विकास निगम हल्द्वानी से ...कलन अनुमोदित होने के उपरान्त तथा वास्तविक उत्पादन के पश्चात् धनराशि में यदि कोई कमी/वृद्धि होती है तो तदनुसार जमा धनराशि ...स/पुनः शेष धनराशि को जमा करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी।

लौट संख्या	मोटर मार्ग का नाम	धनराशि
28/2023-24	चण्डाक से धारीजोशी मोटर मार्ग	4005.00
29/2023-24	चण्डाक से धारीजोशी मोटर मार्ग	22644.00
30/2023-24	चण्डाक से धारीजोशी मोटर मार्ग	138043.00
		164692.00

अतः उपरोक्तानुसार धनराशि रू0 1,64,692.00 (एक लाख चौसठ हजार छः सौ बयानब्बे मात्र) यथाशीघ्र प्रदान करने का कष्ट करें, धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त लौटो में वृक्षों का विदोहन कार्य करवाया जाना सम्भव होगा।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार लौट का प्राक्कलन

भवदीय,

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक
पिथौरागढ़।

पत्रांक- 165 /उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- अनुभाग अधिकारी पिथौरागढ़ अनुभाग को उपरोक्तानुसार इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप भी अधीशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ के कार्यालय से स्वयं सम्पर्क स्थापित कर कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। एवं कार्य हेतु धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त लौटो में यथासम्भव कार्य सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक
पिथौरागढ़।

III | JE(T) | ... | DAO | Cashier

2/7/24

1/7/24

12-1

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalfca.forest@uk.gov.in Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 2516/12-1 :देहरादूनः दिनांकः 09 अप्रैल, 2025

19098
12-1(3)
16.05.2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,
पिथौरागढ़।

विषय:–जनपद पिथौरागढ़ में चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार के निर्माण हेतु 1.911 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
(ऑनलाईन प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/40805/2019)

संदर्भ:–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/23/2021/एफ0सी0/628 दिनांक 30–07–2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई थी। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 2396/12–1(2) दिनांक 20–03–2025 के द्वारा हार्ड प्रति में इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। परन्तु उक्त अनुपालन आख्या के शर्त संख्या 3(ग), शर्त संख्या 6 एवं शर्त संख्या 8 से सम्बन्धित संलग्नक उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।

अतः प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 3(ग), शर्त संख्या 6 एवं शर्त संख्या 8 के सम्बन्ध में सूचना ऑनलाईन एवं आफलाईन शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया जा सके।

सामान्य
उ० व० सं० भू०

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी
क्रम सं0 18375
पत्रावली 12-1
तिथि 26.5.2025
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्या– 2516/12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

– 8098/12-1(2) दि- 20/05/2025

प्रति:- प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 3(ग), 6 तथा 8 के सम्बन्धित में सूचना/संलग्नक यथाशीघ्र आफलाईन/ऑनलाईन कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड
अल्मोड़ा

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & ☎ 05964- 225234

पत्रॉकः 990 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 12 अगस्त, 2025।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ में चण्डाक से धारी मो0मार्ग का धारी तक विस्तार के निर्माण हेतु 1.911 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं0 40805/2019)।

सन्दर्भः– प्रमुख वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड देहरादून, के पत्रॉक सं0–2516 / 12–1 देहरादून दि0–09 / 04 / 2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में पूर्व में प्रेषित अनुपालन आख्या की शर्त सं0 3ग, 6 व 8 में उल्लेखित कमी का निराकरण कर आख्या निम्नवत प्रेषित है–

कम सं0	शर्त सं0	विवरण	अनुपालन आख्या
1	3ग	वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	शर्त सं0 3–ग के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
2	6	प्रयोक्ता अभिकरण के प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जो कि प्रस्ताव के अनुसार 51 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वनविभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वनविभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है तथा उनके द्वारा राज्य वन विकास निगम के पक्ष में पेडों की कटाई की लागत रू0 164692.90 जमा किये जाने के सम्बन्ध में प्रपत्र संलग्न किये गये हैं।
3	8	गाइडलाईन्स में दिए गए दिशा निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कडाई से निगरानी करेगी और सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनॉक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहो की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति संलग्न है।

अतः प्रकरण में विधिवत स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नः– यथोक्त।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

पत्रांकः– 990 /12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः-- जनपद पिथौरागढ़ में चण्डाक धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार का निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद पिथौरागढ़ में चण्डाक धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार के निर्माण हेतु चयनित सी0ए0 क्षेत्र ग्राम पपदेव पौण तहसील पिथौरागढ़ (3.88 हे0) में पूर्व में ई0 टी0 एफ0 द्वारा 2024 में पौधे रोपित किये गये है, जिसके चलते उक्त भूमि में पौधारोपण हेतु पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है उक्त चयनित क्षेत्र के स्थान पर चण्डाक कम्पार्ट सं0 04 में (3.88 हे0) क्षेत्र के चयन की संस्तुति की जाती है उक्त नवीन भूमि का जी0 पी0 एस0 29°36'11"N 80°09'40"E है। उक्त नवीन चयनित भूमि चण्डाक कम्पार्ट सं0 04 में भूमि पौधारोपण हेतु उयुक्त है।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
पिथौरागढ़।

दूरभाष / फैक्स नं0 05964–225115 E-mail - pdpwdpth@rediffmail.com

पत्रांक 1416 / 22 या०ला०

दिनांक 08 / 08 / 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी

पिथौरागढ़।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ में चण्डाक से धारी मो0मार्ग का धारी तक विस्तार के निर्माण हेतु 1.911 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,इन्दिरानगर फारेस्ट कॉलोनी,उत्तराखण्ड देहरादून,के पत्रॉक सं0–2516 / 12–1 देहरादून दि0–09 / 04 / 2025।

महोदय,

उक्त विषयक पत्रॉक के कम में पूर्व में प्रेषित अनुपालन आख्या की शर्त सं0 3ग,6 व 8 से सम्बन्धित संलग्नक प्रेषित किये जा रहे है।

अनुपालन आख्या

कम सं0	शर्त सं0	विवरण	अनुपालन आख्या
1	3 ग	वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षरोपण कार्य नहीं किया गया है।	आख्या आपके स्तर से दी जानी है।
2	6	प्रयोक्ता अभिकरण के प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जो कि प्रस्ताव के अनुसार 51 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। राज्य वन विकास निगम के पक्ष में पेडों की कटाई की लागत रू0164692.00 जमा किये जाने के प्रपत्र संलग्न है।
3	8	गाइडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कडाई से निगरानी करेगी और सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनॉक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहो की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति (संलग्न है।)

8/8

अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०

पिथौरागढ़

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में चण्डाक धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार के निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम रखा जायेगा जो कि प्रस्ताव के अनुसार 51 वृक्षों से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विकास निगम के पास पेडों की कटाई लागत रू0 164692.00 (रू0 एक लाख चौंसठ हजार बयानबे ~~एवं नब्बे पैसा~~ मात्र) जमा करा दी गई है। (संलग्न)

8/8/25

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
पिथौरागढ़

प्रारुप–25

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार मोटर मार्ग का नव निर्माण।

अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य से दूरी

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित स्थल की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से हवाई दूरी **22 किमी0** है।

ह0/
प्रभागीय वनाधिकारी

(व0 र0)
चण्डाक

वन क्षेत्राधिकारी
पिथौरागढ

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

प्रारुप–37

परियोजना का नामः– जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार मोटर मार्ग का नव निर्माण।

धार्मिक / पौराणिक / ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नही है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नही की गई है।

ह0/
प्रोजेक्ट एजेन्सी

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
पिथौरागढ

जितेन्द्र सिंह बोनाल
राजस्व उपनिरीक्षक......
तहसील.......
जिला.......

ह0/
जिलाधिकारी

तहसीलदार
पिथौरागढ

उप जिला अधिकारी
पिथौरागढ़
(उत्तराखण्ड)

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

प्रारुप–41

परियोजना का नामः– जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वन भूमि के मूल्य/वार्षिक लीज रेन्ट का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रूपये.........—.........प्रति हे0 है तथा उक्त प्रयोजन हेतु.....—.....हे0 वन भूमि का कुल प्रीमियम (मूल्य) रूपये.........—.........होता है। उक्त वन भूमि का वार्षिक लीज रेन्ट प्रीमियम (मूल्य) का.....................प्रतिशत की दर से रूपये..................—..................प्रतिवर्ष होता है।

लागू नहीं हैं।

जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

पिथौरागढ़

तहसीलदार
पिथौरागढ

उप जिला अधिकारी
पिथौरागढ़
(उत्तराखण्ड)

प्रारुप–35

परियोजना का नामः– जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार मोटर मार्ग का नव निर्माण।

<u>Task Force Certificate</u>

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.

(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.

(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.

(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

Apart from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.

(ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in road. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.

(iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen muck treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made.

(iv) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culverts, breast walls, retaining walls are to be provided for purpose of establishing the slips Growth vegetative cover is to be stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In

(v) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and others engaged in construction of hill roads. these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियाँ का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि. वि.
पिथौरागढ़

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

प्रारुप–30.3

<u>परियोजना विवरण</u> :– जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार का कार्य।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
जिला स्तरीय समिति, पिथौरागढ

जिला पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार का कार्य (0.290 हे0 आरक्षित वन भूमि, **0.630** हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि **0.991** हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल **1.911** हे0 वन भूमि) का **प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पिथौरागढ) की दिनांक 22.06.2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक **श्री वी॰के॰ जोगदंडे जिलाधिकारी** एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– **श्री वी॰के॰ जोगदंडे जिलाधिकारी** पिथौरागढ अध्यक्ष
2– श्री ~~अ विनय भार्गव~~ प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ सदस्य
3– श्रीमति मंजूला देवी पत्नी श्री महेन्द्र सिंह ग्राम सिर्दांग धारचूला जिला पंचायत सदस्य
4– श्री कमलेश आर्या पुत्र श्री प्रेम राम ग्राम जैंती विकास खण्ड मुनस्यारी जिला पंचायत सदस्य
5– श्री अमर बहादुर चन्द्र पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द ग्राम दुतीबगड जौलजीबी विकास खण्ड धारचूला जिला पंचायत सदस्य
6– श्री ~~एन0 के0 शर्मा~~ जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य/सचिव

जिला सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार का कार्य परियोजना हेतु **1.911** हे0 वन भूमि **प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से जिला पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार का कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 1.911 हे0 वन भूमि **प्रान्तीय खण्ड लोक निमाण विभाग पिथौरागढ़** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़

जि0 पं0 सदस्य
सिर्दांग 01

जिला समाज कल्याण अधिकारी
पिथौरागढ़

कमलेश आर्या
सदस्य जिला पंचायत मुनस्यारी
(पिथौरागढ़)

(9)

प्रारुप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Pithoragarh

No--- 45 Dated--22-6-019

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.911 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Public Work Department for in Pithoragarh district falls within jurisdiction of Chandak, Dhari Joshi, Dungari village (s) in Munakot (Pithoragarh) tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.911 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure …to …annexure….

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

जिलाधिकारी Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

(10)

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT PITHORAGARH (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Pithoragarh** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/~~Mrs~~/~~Miss~~. VIJAY KUMAR JOGDANDE..... I.A.S deputy commissioner,. Pithoragarh... on dated 22-6-019 at time 2.00 P.M at Pithoragarh in which application claiming rights in ------------- area measuring **1.911** hect for the construction of Chandak To Dhari forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **Pithoragarh** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;.. Pithoragarh. 22-6-019
Dated:.............

जिलाधिकारी

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe

<u>परियोजना विवरण</u> :– **जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार का कार्य।**

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, पिथौरागढ़

उपखण्ड पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार का कार्य** (0.290 हे0 आरक्षित वन भूमि, **0.630** हे0 सिविल सोयम वन भूमि **0.991** हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल **1.911** हे0 वन भूमि) का **प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पिथौरागढ़) की दिनांक 26/03/2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री तुषार सैनी, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री तुषार सैनी उपजिलाधिकारी पिथौरागढ़ अध्यक्ष
2– श्री अनिल कुमार उप प्रभागीय वनाधिकारी डीडीहाट सदस्य
3– श्री किशन सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव
4– श्री ————बी0डी0सी0 क्षेत्र ————सदस्य
5– श्रीमती सुशीला देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र गोगना सदस्य
6– श्री राजेन्द्र सिंह बी0डी0सी0 क्षेत्र खतीगांव तल्लीसार सदस्य
7– श्री ललित प्रसाद बी0डी0सी0 क्षेत्र उपरतोला सदस्य
8– श्रीमती बिन्दू देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र निशनी सदस्य
9– श्री मनोज धपोला बी0डी0सी0 क्षेत्र दियूड़ी सदस्य
10– श्रीमती शकुन्तला देवी ग्राम वुडौली
11– श्रीमती निर्मला देवी ग्राम जजुराली
12– श्रीमती सुनीता देवी ग्राम सौड़लेख
13– श्रीमती भागीरथी देवी ग्राम जीवी
14– श्री महेश ग्राम भडकटिया

क्षेत्र पंचायत भड़कटिया–प्रथम वि0ख0 मूनाकोट, पिथौरागढ़

क्षेत्र पंचायत उपरतोला विकास खण्ड बिण, पिथौरागढ़

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार का कार्य** परियोजना हेतु **1.911** हे0 वन भूमि **प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार का कार्य** परियोजना हेतु **1.911**हे0 वन भूमि **प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
जनपद/ तहसील–पिथौरागढ़

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– पिथौरागढ़
जनपद पिथौरागढ़

श्रीमती सुनीता देवी कनिष्ठ प्रमुख विकास खंड-मूनाकोट (पिथौरागढ़)

सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकास खण्ड - मूनाकोट (पिथौरागढ़)

शकुन्तला देवी
क्षेत्र पंचायत सदस्य मुरमुनी, वि.ख.बिण (पिथौरागढ़)

उप जिला अधिकारी पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड)

प्रारुप–30.3 चन्डाक, बैंड से धारीजोश्री डुंगरा

परियोजना का नाम जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत ~~सुगौली चमाली रोड़ से मछीनाखोली कनारी विश्राम~~ तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम .... धारीजोश्री

तहसील पिथौरागढ, जिला पिथौरागढ

चन्डाक बैंड से धारीजोश्री डुंगरा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत ~~सुगौली चमाली~~ रोड़ से ~~मछीनाखोली कनारी विश्राम~~ तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। परियोजना के निर्माण हेतु (~~0.00~~ 0.29 हे0 आरक्षित वन भूमि 0.630 हे0 सिविल सोयम भूमि ~~0.630~~ 0.991 हे0, वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.911 हे0 वन भूमि का **प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागड** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत धारीजोश्री द्वारा दिनांक 05/05/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम धारीजोश्री .... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागड** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र
विकास खण्ड – बिण
जनपद – पिथौरागढ

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

चन्द्रा देवी
प्रधान

प्रारुप--30.4

दिनांक 5/5/018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत धारी जोशी

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	कुन्दन सिंह	[illegible]
2	कैलाश चन्द	Kailash
3	नन्दा वल्लभ	[illegible]
4	बहादुर राम	[illegible] Dhari
5	श्रीकृष्ण जोशी	[illegible]
6	होशियार राम	[illegible]
7	विक्रम राम	[illegible]
8	भुवन चन्द	[illegible]
9	भुवन राम	[illegible]
10		Anil
11	मोहन राम	[illegible]
12		
13	श्रीमती गीता जोशी	[illegible] जोशी
14		गीता जोशी
15	दीपक कुमार	दीपककुमार
16		
17	प्रेम सिंह	प्रेम सिंह
18	कैलाश नाथ	[illegible]
19		
20	पूरन सिंह	पूरन सिंह
21	चन्द्र सिंह	चन्द्र सिंह
23		
23	रमेश राम	रमेश राम
24	भुवन राम	भुवन राम
25		
26	[illegible] कुमार	[illegible]
27	भरत राम	भरत राम
28	बसन्त राम	बसन्त राम
29	भावना देवी	भावना देवी
30	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
31	कमल सिंह	Kamal Singh
32	[illegible] सिंह	[illegible]
33	[illegible]	[illegible]
34	अर्जुन सिंह	Arjun Singh
35		

ग्राम पचायत विकास आधकारी
क्षेत्र धारी जोशी
विकास खण्ड - बिण
जनपद - पिथौरागढ

ग्राम पंचायत धारी जोशी
[illegible] देवी
प्रधान
50/-
ग्राम प्रधान
वि० ख० बिण (पिथौरागढ)

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम धारी...............

तहसील पिथौरागढ, जिला पिथौरागढ

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागड के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार मोटर मार्ग का नव निर्माण। परियोजना के निर्माण हेतु (**0.29** हे0 आरक्षित वन भूमि, **0.63** हे0 सिविल सोयम भूमि **0.991** हे0, वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल **1.911** .हे0 वन भूमि का **प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागड** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत धारी जोशी द्वारा दिनांक 05/05/2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम धारी जोशी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागड** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र— धारी 4.5.2018
विकास खण्ड बिण
जनपद - पिथौरागढ

सरपंच
वन पंचायत
धारी जोशी (पिथौरागढ़)

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित
प्रधान
ग्राम धारी जोशी
वि० ख० बिण (पिथौरागढ़)

प्रारुप–30.4

दिनांक 05/05/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत धारी

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	प्रेम सिंह	प्रेम सिंह
2	नन्दा बल्लभ	नन्दा बल्लभ
3	हरिया राम	हरिया राम
4	[illegible] बल्लभ	[illegible]
5	पूरन राम	[illegible]
6	अशोक कुमार	अशोक कुमार
7	मोहन राम	[illegible]
8	अनिल कुमार	अनिल कुमार
9	गोकुल राम	गोकुल राम
10	मनोज कुमार	मनोज कुमार
11	पूरन राम	पूरन राम
12	लक्ष्मण कुमार	[illegible]
13	[illegible] कुमार	[illegible]
14	भरत राम	भरत राम
15	रमेश राम	रमेश राम
16	प्रकाश राम	प्रकाश राम
17	मोहन चन्द्र	Mohanchandra
18	कुन्दन सिंह	कुन्दन सिंह
19	नरेन्द्र सिंह	नरेन्द्र सिंह
20	जानकी देवी	जानकी देवी
21	भुवन राम	भुवन राम
22	शान्ती देवी	शान्ती देवी
23	भगवान सिंह	भगवान सिंह
24	पुष्पा देवी	पुष्पा देवी
25	हेमा देवी	हेमा देवी
26	कैलाश चन्द्र तिवारी	कैलाश चन्द्र तिवारी
27	देवकी तिवारी	देवकी तिवारी
28	सुनीता तिवारी	सुनीता तिवारी
29	सूरज कुमार	[illegible]
30	भावना देवी	भावना देवी
31	सुभाष चन्द्र तिवारी	[illegible]
32	रविन्द्र तिवारी	[illegible]
33	विनोद जोशी	विनोद जोशी
34	श्याम सिंह	[illegible]
35	कमल सिंह	[illegible]
36	[illegible]	कमल

कुन्दन सिंह

लक्ष्मण तिवारी

जगत सिंह

उमेद सिंह गैड़ा

कुशाल सिंह

देवेन्द्र सिंह

दीप चन्द्र तिवारी

सरपंच
वन पंचायत
धारी जोशी (पिथौरागढ़)

ह0
ग्राम प्रधान
हेमा देवी

ग्राम पंचायत धारी जोशी
प्रधान
वि0 ख0 बिण (पिथौरागढ़)

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम ....डुंगरी.........
तहसील पिथौरागढ, जिला पिथौरागढ

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागड के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार मोटर मार्ग का नव निर्माण। परियोजना के निर्माण हेतु (0.29 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.63 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.991 हे0, वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.911 .हे0 वन भूमि का **प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागड** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ..डुंगरी.. द्वारा दिनांक 29-05-2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम डुंगरी...... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागड** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम पंचायत डुंगरी
रेखा देवी
प्रधान

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रारुप–30.4

दिनांक 29-05-2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत डुमारी

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	Rupveer Singh	[signature]
2	Dipak Tiwari	[signature]
3	[illegible]	Dr Tiwari
4	[illegible]	[signature]
5	[illegible]	[illegible]
6	[illegible] सिंह	[illegible]
7	[illegible] सिंह	[illegible]
8	[illegible]	[signature]
9	[illegible] सिंह	[illegible]
10	[illegible] सिंह	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]
12	दौलत सिंह	Doulat Singh
13	उमेद सिंह	[signature]
14	[illegible]	[signature]
15	[illegible]	[signature]
16	दौलत सिंह	Daulat Singh
17	अर्जुन सिंह	Arjun Singh
18	भगवान सिंह	[signature]
19	रमा देवी	रमा देवी
20	[illegible] देवी	[illegible] देवी
ग्रु1	राम सिंह	[signature]
ग्रु2	भुवन सिंह	भुवन सिंह
ग्रु3	रमेश सिंह	[signature]
28	महेश सिंह	[signature]

ग्राम पंचायत [illegible]
प्रधान
ग्राम प्रधान

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम पौण

तहसील पिथौरागढ, जिला पिथौरागढ

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागड के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार मोटर मार्ग का नव निर्माण। परियोजना के निर्माण हेतु (**0.29** हे0 आरक्षित वन भूमि, **0.63** हे0 सिविल सोयम भूमि **0.991** हे0, वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल **1.911** हे0 वन भूमि का **प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागड** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पौण द्वारा दिनांक 29.05.2019 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पौण के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागढ** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

सरपंच
वन पंचायत पौण
पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड)

ग्राम प्रधान सोहन राम
ग्राम पंचायत पौण
बि0ख0 विण पिथौरागढ

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

Scanned By Scanner Go

प्रारुप–30.4

दिनांक-29.05.2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत पौण

क्र०सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	गजेन्द्र वल्दिया	Gajer
2.	तपन वल्दिया	Tapan
3.	गीता देवी	गीता देवी
4.	रेखा देवी	रेखा
5.	श्याम सिंह	[illegible]
6.	खुशाल वल्दिया	खुशाल वल्दिया
7.	प्रेम सिंह वल्दिया	Prem
8.	रेपा देवी	रेपा देवी
9.	मंजू देवी	Manju
10.	मोहन सिंह	Mohan Singh
11.	पूरन सिंह वल्दिया	पूरन सिंह
12.	विशाल कुमार	Vishal Kumar
13.	अनिल कुमार	Anil
14.	शिखा वल्दिया	Shikha
15.	मोहन राम	मोहन राम

ग्राम प्रधान मोहन राम
ग्राम पंचायत पौण
विकास खण्ड-विण, पिथौरागढ

Scanned By Scanner Go

प्रारुप–54

परियोजना का नामः– जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

ह0/
प्रभागीय वनाधिकारी

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

वन क्षेत्राधिकारी
पिथौरागढ़

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

भूगर्भीय निरीक्षण आख्या

भूगर्भीय निरीक्षण आख्या जी0 एस0 –

05 / सड़क सरेखण / पिथौरागढ़ / 2018

जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत् चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार, लम्बाई 05 किमी0, सड़क सरेखण की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या

जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत् चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार, लम्बाई 05 किमी0, सड़क सरेखण की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या

1— प्रस्तावना: प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ को उक्त मार्ग का निर्माण करना राज्य योजना के अन्तर्गत् स्वीकृत हुआ है । अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ के अनुरोध पर स्थल का निरीक्षण 13.05.2018 को श्री एच.एस. बर्थियाल, सहायक अभियन्ता एवं श्री दीपक टम्टा, कनिष्ठ अभियन्ता की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। प्रस्तावित सरेखण का अध्ययन भूगर्भीय स्थिति, आकृति एवं पर्यावरणीय पारिस्थितिकी के अध्ययन हेतु किया गया, ताकि सड़क निर्माण हेतु आवश्यक सुझाव दिया जा सके।

2— स्थिति: यह सरेखण चण्डाक—धारी मोटर मार्ग के किमी0 2.000 से प्रारम्भ होता है तथा डुंगरा गांव तक जाता है।

3— भूगर्भीय स्थिति: यह सड़क सरेखण भीतरी लेसर हिमालय के अन्तर्गत् पिथौरागढ़ जनपद में प्रस्तावित है। इह सरेखण "पिथौरागढ़ कैल्क ज़ोन" से होकर गुजरता है। इन चट्टानों में मुख्य रूप से 4 संधि समुच्चय मिलते है। इन चट्टानों में किया गया अध्ययन इस प्रकार है ।

1.	110—290 / दक्षिण दक्षिण पश्चिम / 25^0	नति
2.	040—220 / पूर्व दक्षिण पूर्व / 30^0	नति
3.	130—310 / दक्षिण दक्षिण पश्चिम / 35^0	नति
4.	040—220 / पूर्व दक्षिण पूर्व / 65^0	नति
5.	140—320 / पूर्व उत्तर पूर्व / 40^0	नति
6.	145—325 / पूर्व उत्तर पूर्व / 40^0	नति
7.	110—290 / दक्षिण दक्षिण पश्चिम / 30^0	नति
8.	110—290 / दक्षिण दक्षिण पश्चिम / 25^0	ज्वाइन्ट
9.	110—290 / उत्तर उत्तर पूर्व / 70^0	ज्वाइन्ट
10.	180—360 / पश्चिम / 55^0	ज्वाइन्ट
11.	135—315 / दक्षिण पश्चिम / 50^0	ज्वाइन्ट
12.	110—290 / दक्षिण दक्षिण पश्चिम / 30^0	ज्वाइन्ट

इस सरेखण में भूगर्भीय विवर्तनिक कम निम्नवत है।

मिट्टी की परत
स्लेट
मैग्नेसाइट
डोलोमाइटी चूना प्रस्तर
स्लेट

4– स्थल वर्णन: प्रस्तावित मोटर चण्डाक–धारी मोटर मार्ग के किमी0 2.000 से प्रारम्भ होता है तथा डुंगरा गांव तक जाता है। इस सड़क सरेखण में पहाड़ का ढलान सामान्य से मध्यम के बीच है तथा कहीं–कहीं पर तीक्ष्ण है। प्रस्तावित सड़क में "पिथौरागढ़ कैल्क ज़ोन" के सोर स्लेट, मैग्नेसाइट एवं गंगोलीहाट संस्तर की शैलें विद्यमान हैं। डोलोमाइटी चूना प्रस्तर में कहीं–कहीं पर स्ट्रोमेटोलाइट विद्यमान हैं। डोलोमाइटी चूना प्रस्तर में पतली परत से लेकर मोटे संस्तर तक विद्यमान हैं। कहीं–कहीं स्लेट, फाइलाइट के साथ अन्तरासंस्तरित है। स्लेट प्रस्तर में स्लेटी विदलन अच्छी तरह विकसित है। फाइलाइट काले एवं भूरे रंग का है। मैग्नेसाइट कहीं पर डोलोमाइटी चूना प्रस्तर के साथ तथा कहीं पर स्लेट के साथ विद्यमान है। इस मार्ग में 04 एच0 पी0 बैंड प्रस्तावित हैं। इस मार्ग में 13 सूखे/बरसाती नालें हैं। इसमें नाप भूमि तथा वन भूमि दोनों पड़ता है। सरेखण का अधिकतम ग्रेडिएन्ट 1:17 है।

5– स्थाईत्व का विचार: इस सरेखण की स्थल–संरचना व बनावट, स्थल वर्णन, भूगर्भीय, भूकम्पीय एवं पर्यावरणीय आदि परिस्थितियों को देखते हुए इस भाग में मार्ग निर्माण हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक है ।

1) यह सरेखण लेसर हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में है।

(2) भूकम्पीय दृष्टि से यह भू–भाग जोन V में है।

(3) इसमें 13 सूखे/बरसाती नाले हैं।

(4) सरेखण में 04 एच0 पी0 बैंड प्रस्तावित हैं।

(5) इसमें 02 ग्राम आते हैं।

(6) सरेखण वन भूमि एवं कृषि भूमि दोनों से होकर गुजरता है ।

(7) सरेखण का अधिकतम ग्रेडिएन्ट 1:17 है।

(8) सरेखण सामान्य से मध्यम् तथा कहीं–कहीं पर तीक्ष्ण पहाड़ी ढ़लान पर प्रस्तावित है।

(9) सड़क निर्माण के समय पर्यावरण पर ध्यान देना होगा।

6– सुझावः इस सरेखण की स्थल संरचना व बनावट, स्थल वर्णन, स्थाईत्व का विचार, भूगर्भीय, भूकम्पीय एवं पर्यावरणीय आदि परिस्थितियों को देखते हुए इस भू–भाग में मार्ग निर्माण हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए जाते है ।

(1) सूखे नालों पर स्कपर/डबल स्कपर/कल्वर्ट/काजवे/पुल का निर्माण किया जाए।

(2) पहाड़ी की ओर नाली का निर्माण किया जाय।

(3) मलवा स्खलन/पात एवं गॅाव वाले भाग में ब्रेस्ट/रिटेनिंग वाल का आवश्यकतानुसार निर्माण किया जाय।

(4) मोटर मार्ग के निर्माण के समय गॅाव वाले भाग में विस्फोटक सामग्री का उपयोग न किया जाय।

(5) मोटर मार्ग के निर्माण के समय भूकम्पीय मानकों का अनुपालन किया जाय।

(6) पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मार्ग का निर्माण किया जाय।

(7) पर्वतीय क्षेत्रों में बनने वाले मार्गो के मानकों के अनुरूप उपाय किए जाय।

(8) निर्माण के समय कृषि भूमि के ऊपरी मिट्टी की परत को बरबादी से रोका जाय।

(9) मिट्टी/मलवा वाले भाग में मार्ग के वाह्य भाग को उचा रखा जाय ताकि वर्षा के दिनों में पानी मार्ग को पार कर न बहे जिससे मार्ग यथावत बना रहे।

(10) अन्य आवश्यक उपाय जो मार्ग निर्माण में आवश्यक हो किए जाय।

7– निष्कर्षः उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण करना उपयुक्त प्रतीत होता है।

टिप्पणीः उपरोक्त मार्ग के सरेखण के निरीक्षण के समय उपस्थित अधिकारियों से विस्तृत में विचार विमर्श किया गया ।

Singh

(डा0 आर0 ए0 सिंह)
एसोसिएट प्रोफेसर – भूविज्ञान
एल0 एस0 एम0 रा0 स्ना0 म0 विद्यालय
पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड

Dr. R. A. Singh
Associate Professor and Head
Department of Geology
L.S.M. Govt. P.G. College
Pithoragrah-262502, Uttarakhand, India

प्रारुप–25

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार मोटर मार्ग का नव निर्माण।

अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य से दूरी

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित स्थल की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से हवाई दूरी **22 किमी0** है।

ह0/
प्रभागीय वनाधिकारी

(व0 र0)
चण्डाक

वन क्षेत्राधिकारी
पिथौरागढ

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग